हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 10 जनवरी, 2006

संख्या का० आ० 1/ह०अ० 6/2003/धा० 60/2006.—हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), की धारा 60 की उप-धारा (3) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या वैब 5/ह०अ० 6/2003/धा० 60/2005, दिनांक 8 नवम्बर, 2005, के प्रति निर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम हरियाणा मूल्य वर्धित कर (संशोधन) नियम, 2006 कहे जा सकते हैं।

(2) ये नियम अक्तूबर, 2005, के प्रथम दिन से लागू हुए समझे जाएंगे।

2. हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003 में, नियम 47 में, उप-नियम (1) में, विद्यमान तालिका के स्थान पर, निम्नलिखित तालिका प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"तालिका

क्रम संख्या	भट्ठे की क्षमता	प्रवर्ग	01-10-2005 से 30-9-2006 तक की अवधि के लिए कर के बदले में भुगतानयोग्य एकमुश्त राशि
1	2	3	4
1.	33 संख्या की घोड़ी से अधिक क्षमता वाला ईंट भट्ठा	+क	33 घोड़ी से ऊपर 2,24,000/- रुपये जमा 7800/- रुपये प्रति अतिरिक्त घोड़ी
2.	28 से 33 संख्या की घोड़ी की क्षमता वाला ईंट भट्ठा	क	2,24,000/- रुपये
3.	22 से 27 संख्या की घोड़ी की क्षमता वाला ईंट भट्ठा	ख	1,75,000/- रुपये
4.	22 संख्या से नीचे की घोड़ी की क्षमता वाला ईंट भट्ठा	ग	1,40,000/- रुपये
5.	30 सितम्बर, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान न जलाया गया ईंट भट्ठा, जिसमें प्रथम अक्तूबर, 2005 को भट्ठे के अन्दर तथा बाहर सभी प्रवर्गों की ईंटों का स्टॉक पांच लाख से अधिक न हो।	घ	35,000/- रुपये

(टिप्पण :— यदि कोई भट्ठा दो स्थानों पर जलाए जाने वाले आकार का है, तो ऐसे भट्ठे के मालिक द्वारा भुगतानयोग्य एक मुश्त राशि की दर उपरोक्त दरों से दुगनी होगी)।

व्याख्या.— "घोड़ी" लगभग 4" से 5" की ईंटों पर अगले उसी प्रकार स्तम्भ खाना से अलग करते हुए ईंट की लम्बाई के बराबर ईंट की चौड़ाई का स्तम्भ खाना है तथा "घोड़ी की संख्या" इसकी पूरी चौड़ाई पर ईंट भट्ठे के पात्र की भीतरी तथा बाहरी दीवार के बीच के समायोजन को समर्थ बनाने वाली ईंटों के स्तम्भ खानों की संख्या है।"।

एल० एस० एम० सालिन्स,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।